पत्र सूचना शाखा
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग उत्तर प्रदेश

परिवहन मंत्री ने प्रोत्साहन अवधि में (पर्व अवधि) अतिरिक्त बसों के संचालन के दिए निर्देश

पर्व अवधि में प्रदेश के लोगों को सुरक्षित एवं सुगम यात्रा सुनिश्चित किया जायेगा

प्रोत्साहन अवधि में चालकों/परिचालकों को अतिरिक्त संचालन पर 400 रुपये प्रति दिवस की दर से मिलेगी प्रोत्साहन राशि

—दयाशंकर सिंह

लखनऊ : 30 अक्टूबर, 2026

उत्तर प्रदेश के परिवहन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री दयाशंकर सिंह ने आगामी दीपावली एवं छठ पर्व पर (प्रोत्साहन अवधि) प्रदेश के लोगों को उनके गन्तव्य तक सुरक्षित एवं सुगम्य यात्रा के लिए अतिरिक्त परिवहन व्यवस्था उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि 06 नवंबर, 2026 से 17 नवम्बर, 2026 तक अधिक से अधिक बसें संचालित की जाएं। पूर्वांचल में बड़े पैमाने पर छठ पर्व का आयोजन होता है। इस पर्व पर महानगरों में रहने वाले पूर्वांचल के बहुत से लोग अपने गन्तव्य को जाते हैं। इसके दृष्टिगत सुव्यवस्थित आवागमन सुनिश्चित करने के निर्देश परिवहन मंत्री ने दिए है।

परिवहन मंत्री ने कहा कि दिल्ली से पूर्वी उत्तर प्रदेश के यात्रियों को आवागमन के लिए अधिक संख्या में बसें चलायी जाएं। लखनऊ व कानपुर नगरों के लिए भी इस अवधि में अतिरिक्त बसों के संचालन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों से यदि गाजियाबाद व दिल्ली एवं पश्चिमी क्षेत्रों के लिए प्रारम्भिक प्वाइंट से 60 प्रतिशत से अधिक लोड फैक्टर मिलने पर पूर्वी क्षेत्र से भी अतिरिक्त सेवाएं संचालित की जाएं। भैयादूज के अवसर पर स्थानीय व निकट जनपदों में अधिक आवागमन होता है। ऐसे स्थानीय स्तर पर क्षेत्रीय अधिकारी आवागमन की व्यवस्था सुनिश्चित कराएं।

परिवहन मंत्री ने प्रोत्साहन अवधि में निगम बसों को शतप्रतिशत ऑनरोड करने के निर्देश दिए साथ ही कहा कि बसों की असेम्बलीज व स्पेयर पार्ट्स की उपलब्धता भी परिवहन निगम के अधिकारी सुनिश्चित करा लें। उन्होंने कहा कि किसी भी दशा में अनफिट बसों का संचालन न किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रोत्साहन अवधि में अतिविशिष्ट परिस्थितियों को छोड़कर अधिकारियों/कार्मिकों का अवकाश स्वीकृत न किया जाए। उन्होंने अधिकारियों/कर्मचारियों की ड्यूटी रोस्टर पद्धति से लगाने के निर्देश दिए। त्योहार पर यात्रियों की सुविधा के लिए स्टेशनों एवं बसों में साफ सफाई की व्यवस्था बेहतर हो। स्टेशनों पर पीने के पानी एवं बैठने, डिजिटल समय सारिणी एवं सहायता केन्द्र की भी व्यवस्था की जाए।

परिवहन मंत्री ने निर्देश दिए कि प्रोत्साहन अवधि में अनुबन्धित बसों को अवकाश स्वीकृत न किया जाए। वाहन स्वामियों को सूचित कर दिया जाए कि अनुबन्ध पर लगी बसों का मरम्मत कराकर संचालन के लिए बसों की उपलब्धता सुनिश्चित कराएं। उन्होंने निर्देश

दिए कि प्रवर्तन दल क्षेत्रों में निकल कर जांच करें। सभी चालकों और परिचालकों का ब्रेथ एनेलाइजर टेस्ट किया जाए, जिससे कि सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित किया जा सके।

प्रबन्ध निदेशक परिवहन श्री प्रभु नारायण सिंह ने आश्वस्त किया कि परिवहन मंत्री के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने बताया कि सभी क्षेत्रीय/सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धकों को इस संबंध में निर्देश दिए गए हैं। प्रोत्साहन अवधि में सुरक्षित एवं सुगम यात्रा प्रदेश के लोगों को उपलब्ध करायी जायेगी।

प्रबन्ध निदेशक ने बताया कि प्रोत्साहन अवधि में चालकों/परिचालकों एवं कार्मिकों को प्रोत्साहन राशि प्रदान की जायेगी। उन्होंने बताया कि ऐसे चालक/परिचालक जिसमें संविदा तथा आउटसोर्सिंग के चालक/परिचालक भी शामिल हैं, जो न्यूनतम 11 दिवसों में उपस्थित होकर दैनिक रूप से निर्धारित औसत किमी0 का संचालन करते हैं तो 400 रूपये प्रतिदिन की दर से एकमुश्त 4400 रूपये का विशेष प्रोत्साहन का भुगतान किया जायेगा। प्रोत्साहन अवधि में औसतन 300 किमी0 प्रतिदिन का संचालन करना होगा। यदि ये कार्मिक 12 की पूर्ण प्रोत्साहन अवधि तक कुल ड्यूटी करते हैं एवं किमी0 के उपरोक्त मानक पूर्ण करते हैं, तो 400 रुपये प्रति दिवस की दर से प्रोत्साहन राशि देय होगी तथा कुल 4800 रुपये प्रोत्साहन राशि दी जायेगी। संविदा/वाह्य स्रोत चालकों/परिचालकों को प्रोत्साहन अवधि में निर्धारित मानक से अधिक किमी0 अर्जित करने पर अतिरिक्त किमी0 पर 55 पैसे प्रति किमी0 की दर अतिरिक्त मानदेय दिया जायेगा।

इस अविध में यदि चालक (नियिमत/संविदा) दारा न्यूनतम 11 दिन इलेक्ट्रिक बस पर ड्यूटीकर 3300 कि0मी0 संचालित किया जाता है तो उक्त के अतिरिक्त लगभग 1000/– का भुगतान किया जाएगा।

प्रबन्ध निदेशक ने बताया कि प्रोत्साहन अवधि में 12 दिन लगातार ड्यूटी करने वाले डिपो कार्यशाला एवं क्षेत्रीय कार्यशाला में कार्यरत कार्मिकों, जिसमें निगम के सीधे आबद्ध आउटसोर्स कार्मिक भी शामिल होंगे, को एकमुश्त 2500 रुपये तथा 11 दिन ड्यूटी करने वाले कार्मिकों को एकमुश्त 2100 रुपये प्रोत्साहन राशि दी जायेगी। इसके अतिरिक्त सभी क्षेत्रीय प्रबन्धकों को 10,000 रुपये एवं सेवा प्रबंधकों को 5,000 रुपये दिये जायेंगे, जिसका वितरण वे क्षेत्रीय समिति की संस्तुति उत्कृष्ट कार्य करने वाले क्षेत्रीय कर्मचारियों/उपाधिकारियों में करेंगे। सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक 50 रुपये प्रति निगम एवं अनुबंधित बस के आधार पर डिपो के उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारियों एवं उपाधिकारियों को वितरित करेंगे।

अतिरिक्त बसों का संचालन

प्रबन्ध निदेशक ने बताया कि प्रोत्साहन अवधि में दिल्ली से लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी, अयोध्या, कानपुर के लिए अतिरिक्त बसों का संचालन परिवहन निगम द्वारा किया जायेगा। इसके अतिरिक्त गाजियाबाद, मुरादाबाद, मेरठ, बरेली, सहारनपुर, आगरा, अलीगढ़ एवं इटावा क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त बसों के संचालन के निर्देश दिए गए हैं। क्षेत्रीय प्रबंधक आवश्यकतानुसार बसों के संचालन को घटा–बढ़ा सकते हैं।

सम्पर्क सूत्र– आशीष सिंह

राघवेन्द्र/02:50 PM

फोन नम्बर Direct : 0522–2239023 ई0पी0बी0एक्स0 : 0522–2239132,33,34,35 एक्सटेंशन : 223 224 225

फैक्स नं0 : 0522–2237230 0522–2239586 ई–मेल : upsoochna@gmail.com,

वेबसाइट :www.information.up.gov.in